भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2752
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों को बीमा की सुलभता

2752. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्वी आंगलॉन्ग और डिमा हसाओ जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन सुदूर क्षेत्रों में कवरेज या दावा निपटान में किसी समस्या को चिह्नित किया है; और

(ग) इन जिलों के लघु एवं सीमांत किसानों के बीच बीमा प्रसार में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक असम के दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिलों में कुल 30,950 और 72,011 किसान आवेदनों का पंजीकरण किया गया है।

(ख): देश में खरीफ 2016 सीजन से लागू की गई PMFBY योजना, राज्यों तथा किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। फसलों तथा क्षेत्र/जिले का चयन, बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन तथा स्वीकार्य दावों की गणना और उनका भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर थ्रेसहोल्ड उपज और वास्तविक उपज अपलोड करने जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक हितधारक की कर्तव्य और जिम्मेदारियां योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित हैं।

(ग): इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर मुआवजे, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा असम राज्य सहित पूरे भारत में इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाएं देना, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर तथा पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से के समानुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा दावों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से 12% का जुर्माना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से स्वतः गणना करके लगाया जाता है।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देय होगा।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना, वस्तुनिष्ठ फसल क्षति और नुकसान मूल्यांकन के लिए येस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) और विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) जैसी प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

- सरकार ने असम सहित संबंधित राज्यों, बीमा कंपनियों का कार्यान्वयन, वित्तीय संस्थानों और साझा सेवा केंद्रों (CSC) के नेटवर्क द्वारा किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए संचालित जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीजन से 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' नामक एक सुव्यवस्थित जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को जानकारी देने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का आयोजन भी किया जा रहा है।

- सरकार द्वारा 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी स्तर पर डोरस्टेप फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण मेगा अभियान भी संचालित किया गया। PMFBY के तहत फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी पंजीकृत किसानों को ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

******